The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Forty-nine Minutes past Fifteen of the clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

COAL MINES (CONSERVATION AND DEVELOPMENT) BILL—Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We resume discussion on the clauses of the Coal Mines (Conservation and Development) Bill. On the last occasion, we adopted four clauses. Clause 5. Mr. Ramavatar Shastri has got one amendment.

Clause 5.—(*Duty of owner to take steps for the Conservation and development of coal mine*)

SHRI RAMAVTAR SHASTRI (Patna): I beg to move:

Page 3, *after* line 22, *insert*—

"(f) seeking cooperation of labour organisations functioning in coal-fields for achieving the purposes mentioned in clauses (a) to (e)" (13).

मेरे संशोधन का आशय यह है कि जो प्रयोजन हैं उनकी पूर्ति के लिए कोयला क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूर संगठनों का सहयोग प्राप्त किया जाये । ऐसा करना प्रयोजनों की सिद्धि के लिए आवश्यक है । कोयला खानों को चलाने वाले मनमानी न कर सकें, किसी चीज को छिपा न सकें, उसमें कोई त्रुटि हो तो उसको दूर करने के लिए जो युनियंज वहां हैं वे अपने सुझाव दे सकें, यही मेरे संशोधन का आशय है। जो युनियंज वहां काम करती हैं उनका सहयोग लेने सम्बन्धी मेरा यह संशोधन है। सरकार की तरफ से बार बार कहा जाता है कि मजदूरों को इस प्रबन्ध में हिस्सेदारी दे रहे हैं, उनको बहुत से अधिकार दे रहे हैं। मजदूर आन्दोलन करके आप से ये अधिकार ले भी रहे हैं। जो मंत्री महोदय बैठे हुए हैं वह तो बहुत प्रगतिशील बातें बोलते हैं और मजदूरों के हक में बोलते हैं उनको तो ऐसी स्थिति में मेरा संशोधन स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । उस तरफ बैठे हुए बहुत से माननीय सदस्य इस बात को मानते हैं लेकिन चूंकि वे आपके साथ हैं इसलिए वे वोट हमारे साथ देंगे नहीं । युनियंज को भी अधिकार आप दे दें, उनको भी हिस्सेदार आप बना दें, उनसे भी राय आप लें, इस संशोधन का केवल इतना सा ही मतलब है। शर्मा जी की युनियन हो या ए आई टी यु सी की हो या कोई और हो हम चाहते हैं कि उनका भी सहयोग लिया जाये। दो तीन जगह मैंने इस आशय के संशोधन पेश किये हैं और मैं बार बार एक ही बात कहना नहीं चाहता हूं। नई स्थिति को देखते हुए और खास तौर से जो उनकी घोषित नीति है कि हम मजदूरों का सहयोग लेना चाहते हैं ताकि उत्पादन बढ़े उसके लिए यह आवश्यक है कि मेरे इस संशोधन को आप स्वीकार करें। अभी मजदूर असन्तुष्ट हैं बहुत से कारणों से। उनका असन्तोष दूर करना जरूरी है। उनका सहयोग लिया जाये, उनकी राय ली जाये और ऐसा करके ही कोयला खानों का संचालन किया जायेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा और अफसरशाही का खात्मा भी होगा। पूरी सरकार पर अफसरशाही आज हावी है, हर महकमे में है । इस महकमे में भी है यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। मैं निवेदन करता हूं कि मजदूर संगठनों को आप इतना तो अधिकार जरूर दें । नहीं तो आपके भाषण, आपकी नीति बेमानी होगी। कहने के लिए कुछ और करने

[श्री रामावतार शास्त्री]

के लिए कुछ और होगी, हाथी के दो दांत, खाने वाला एक और दिखाने वाला दूसरा, यही कहानी चरितार्थ होगी अगर आपने हमारा यह संशोधन स्वीकार नहीं किया।

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानते हैं कि मैं उनकी राय की बड़ी कद्र करता हूं। यह बात सही है कि कोयला खानों में मजदूरों के सलाह-मश्वरे के बिना कानज़रवेशन और डेवेलपमेंट वगैरह के कामों की तरक्की नहीं हो सकती है। मैं तो स्वयं ही इस काम में लगा रहता हूं। लेकिन मेरी राय में दफ़ा 5 में इस तरह संशोधन करने से यह काम पूरा नहीं होगा। यह तो एक नीति का अनुसरण करने का प्रश्न है। हम उस नीति का अनुसरण कर रहे हैं। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कोयला खानों में, और दूसरी खदानों में भी, काम-काज चलाने के बारे में मजदूरों के साथ पूरी तरह सलाह-मश्वरा किया जायेगा, और हम ऐसा कर भी रहे हैं। माननीय सदस्य को यह जान कर खुशी होगी कि हाल ही में हम ने जो बहुत से फैसले लिये हैं, वे सब मजदूरों के प्रतिनिधियों के सलाह-मश्वरे से लिये हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, I put Amendment No. 13 moved by Shri Ram Avtar Shastri to clause 5 to the vote of the House.

Amendment No. 13 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That Clause 5 stand part of the Bill."

The Motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clause 6—(*Imposition of excise duties*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Somnath Chatterjee—not here.

SHRI RAMAVTAR SHASTRI: I beg to move:

Page 3, line 26,—

for "ten" *substitute* "six" (14).

Page 3,—

omit lines 29 to 31 (15).

MR. DEPUTY-SPEAKER: I put Amendment Nos. 14 and 15 moved by Shri Ram Avtar Shastri to vote.

Amendments Nos. 14 and 15 were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That Clause 6 stand part of the Bill."

The Motion was adopted.

Clause 6 was added to the Bill.

Clauses 7 and 8 were added to the Bill.

Clause 9.—(Utilisation of proceeds of duties levied and collected under sections 6 and 7).

SHRI RAM AVTAR SHASTRI: I beg to move:

Page 4,—

after line 17, *insert*—

"(f) seeking cooperation of labour organisations functioning in coal-fields for achieving the purposes mentioned in clauses (a) to (e)." (16).

MR. DEPUTY-SPEAKER: I put Amendment No. 16 moved by Shri Avtar Shastri to vote.

Amendment No. 16 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That Clause 9 stand part of the Bill."

The Motion was adopted.

Clause 9 was added to the Bill.

Clause 10.—(*Duty of owner to open Coal Mines Conservation and Development Account*)

SHRI RAMAVTAR SHASTRI: I beg to move:

Page 4,—

after line 45, *insert*—

"(g) seeking cooperation of labour organisations functioning in coal-fields for achieving these purposes mentioned in clauses (a) to (f)." (17).

MR. DEPUTY-SPEAKER: I put Amendment No. 17 moved by Shri Ram Avtar Shastri to Clause 10 to vote.

Amendment No. 17 was put and negatived

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no amendment to Clauses 11 to 14 also.

The question is:

"Clauses 10, 11 to 14 stand part of the Bill."

The Motion was adopted.

Clauses 10, 11 to 14 were added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Somnath Chatterjee—not here. So, the Amendments given notice of by Shri Somnath Chatterjee to Clauses 15 and 16 are not moved.

The question is:

"That Clauses 15 and 16 stand part of the Bill."

The Motion was adopted.

Clauses 15 and 16 were added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is also another amendment given notice of by Shri Somnath Chatterjee that New Clause 16A be added.

He is not here. So, that is not moved.

The question is:

Now, there is no amendment to Clause 17.

"That Clause 17 stand part of the Bill."

The Motion was adopted.

Clause 17 was added to the Bill.

Clause 18—(*Power to make rules*)

SHRI RAM AVTAR SHASTRI: I beg to move:

Page 8, line 18,—

for "three" *substitute* "six". (18).

Page 8, line 18,—

for "or" *substitute* "and" (19).

Page 8, line 19,—

for "two" *substitute* "five". (20).

Page 8, line 19,—

omit "or with both" (21).

16.00

अगर कोयला खानों के संरक्षण के सिलसिले में किसी की तरफ से कोई व्यवधान या रुकावट पैदा की जाये, तो उसके लिए सज़ा की व्यवस्था की गई है। इस सम्बन्ध में इस विधेयक में तीन महीने की सज़ा या दो हजार रुपये जुर्माना या दोनों की बात कही गई है। खानों को बर्बाद करने के लिए किस तरह गड़बड़ की जाती है, या उन को ठीक करने में किस तरह रुकावट पैदा की जाती है, ये बातें सरकार को, और ट्रेड यूनियनों में काम करने वाले हम लोगों को, मालूम हैं।

मेरे संशोधनों का अभिप्राय यह है कि जो लोग इस तरह की गड़बड़ियां करते हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि कोई दूसरा इस तरह की गड़बड़ न कर सके। मेरा संशोधन यह है कि तीन महीने की सज़ा के बजाये छः महीने की सज़ा और दो हज़ार रुपये जुर्माने के बजाये पांच हज़ार रुपये जुर्माना किया जाये, और इसके साथ ही 'या' शब्द को हटा दिया जाये, अर्थात् छः महीने की सज़ा भी हो और पांच हज़ार रुपये जुर्माना भी हो।

अगर हम इस तरह के कठोर दंड की व्यवस्था रखेंगे, तो खानों के संरक्षण और विकास को ठीक तरह से करने का इस विधेयक का मंशा पूरा हो सकेगा। आवश्यकता इस बात की है कि जिस किसी की तरफ़ से भी खानों के काम में बाधा आयें, हम उसके खिलाफ़ सख्त कार्यवाही करें। इस विधेयक में जिस दंड की व्यवस्था की गई है, वह कठोर नहीं है। मेरे संशोधन में जिस दंड की व्यवस्था है, उसको और कठोर बनाया जा सकता है। लेकिन अभी मैं इतना ही चाहता हूं कि विधेयक में जो व्यवस्था रखी गई है, उससे आगे चल कर सज़ा और जुर्माने को और अधिक कठोर कर दिया जाये, और "या" को हटा कर दोनों की व्यवस्था कर दी जाये।

इस समय जो व्यवस्था है उससे कैद की सज़ा तो नहीं मिलेगी, केवल दो हजार रुपये जुर्माना कर दिया जायेगा। और काला धन कमाने वालों, गोल-माल करने वालों, हराम का पैसा रखने वालों के लिए दो हजार रुपये दे देना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए सज़ा और जुर्माना दोनों होने चाहिए। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन संशोधनों को स्वीकार कर लेंगे।

श्री के० डी० मालवीय : उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने जिस पृष्ठभूमि में यह सुझाव पेश किया है मैं समझता हूं कि उसमें बहुत परिवर्तन हो गया है। वह ज़माना अब बदल गया है। अब तो कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण हो गया है और जो लोग उन माइन्ज़ को चलाने, कानज़रवेशन और डेवेलपमेंट का काम कर रहे हैं उन पर कई प्रकार की डिसिप्लिन है। मैं मानता हूं कि बहुत सी गड़बड़ियां हो रही हैं लेकिन वह परिपाटी पुराने जमाने से चली आ रही है। लेकिन उनको दूर करने के लिए बड़ी सख्ती की गई है। शायद माननीय सदस्य को मालूम न हो अभी चालीस पचास अच्छे-अच्छे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है, उनको निकाला गया है और उनका तबादला किया गया है।

माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है उससे शायद हमारा और उनका उद्देश्य पूरा न हो सके। इस वक्त हमें काम करने वालों से बड़े संतोषजनक तरीके से सहयोग मिल रहा है। दिक्कतें हैं, भ्रष्टाचार वहां है और हम उनको दूर कर रहे हैं। शायद उसमें थोड़ा समय लग सकता है। सज़ा को तीन महीने से बढ़ा कर छः महीने करने से इतने विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए काम में शायद कोई विशेष सहायता न मिले। इसलिए वह मौजूदा व्यवस्था को मान लें और अपने संशोधनों को वापिस ले लें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put amendments Nos. 18, 19, 20 and 21 to Clause 18 to the vote of the House.

Amendments Nos. 18 to 21 were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That Clauses 18 and 19, Clause 1, that Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 18 and 19, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI K. D. MALAVIYA: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill be passed."

Shri Hukam Chand Kachwai.

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरेना) : उपाध्यक्ष महोदय इस विधेयक के बारे में मुझे केवल इतना ही कहना है कि जब तक कठोर दंड नहीं दिया जायेगा तब तक खानों में किसी विशेष परिवर्तन की आशा कम है। पता नहीं मंत्री महोदय कठोर से कठोर दंड देने में क्यों हिचकचा रहे हैं। उनके सामने कौन सी दिक्कतें हैं यह मेरी समझ के बाहर की बात है। उन्होंने अभी कहा है कि हम ने कुछ तबादले किये हैं। लेकिन तबादले करना ही पर्याप्त नहीं है।

श्री के० डी० मालवीय : निकाले भी हैं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : इससे उनके व्यवहार में कोई बड़ा परिवर्तन होगा ऐसी बात नहीं है।

श्री के० डी० मालवीय : हुआ है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : हम इसको नहीं मानते हैं। मंत्री महोदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

इसलिए मेरा फिर आप से निवेदन है कि अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड रखने से काम नहीं चलेगा क्योंकि पैसा तो उनके पास है। वे पैसा देकर अपना दण्ड भर सकते हैं। इसलिए पैसे का दण्ड अधिक हो उस पर मैं अधिक जोर नहीं दूंगा। मेरा ऐसा कहना है कि कारावास का दण्ड अधिक करेंगे और ऐसी दो चार घटनाएं कुछ खानों में हो जायें तो मेरा विश्वास है कि काफी अच्छी लहर और अच्छा परिवर्तन हमें दिखाई देगा। अब कोयला खानें आप के हाथ में हैं। परन्तु उनकी जो दशा है वह वही चली आ रही है। देश के अन्दर कोयला मिलता नहीं है लोगों को। आप की कोयले की खानों को देखने का अवसर मुझे मिला उसमें कोई सुधार मुझे नहीं दिखाई दिया। कहते हैं बोगी नहीं मिलती है। पहले जो लोग थे, वे बोगी कैसे भेजते थे ? उनका कहना है कि जो खानों के अफसर थे वे रेलवे के अफसरों को खिला पिला कर बोगी ले लेते थे। . . . (व्यवधान) . . इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये सारी जो कमियां आई हैं इनकी वजह से काफी मूल्य भी बढ़े हैं और इन सब का मूल कारण है कि अव्यवस्था बढ़ी है, प्रशासन में कमी आई है और नाना प्रकार की कमियां आई हैं। आप का उद्देश्य अच्छा है वह उद्देश्य सफल हो, यह हम सब चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप ने जो दण्ड रखा है वह बहुत ही कम है। छोटे से छोटे अपराध के लिए सजा कम से कम 6 महीने हो, उससे कम न हो और ज्यादा से ज्यादा तीन साल, चार साल, पांच साल तक दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करें तो मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। आप जरा कर के तो देखिए। चार छः आदमियों को जेल में डाल कर देखिए, एकदम परिवर्तन होगा। मुझे आशा

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

है जो मैंने कहा है उसे ध्यान में रखते हुए आप यह सजा निश्चित रूप से रखेंगे ।

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बिल रखा है मैं उस बिल से पूरी तरह सहमत हूं और चाहता हूं कि वे अपने उद्देश्य में सफल हों । इस समय मैं केवल एक बात की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब कोल माइन्स का राष्ट्रीयकरण हो रहा था तो हमारे स्वर्गीय मंत्री श्री मोहन कुमार मंगलम जी ने वादा किया था कि गोरखपुर का लेबर डिपो कायम रहेगा । वहां से 18 हजार मजदूर कोयला खानों में जाते थे । लेकिन अब वह बन्द हो गया है । अगर उसको बन्द रखेंगे तो आपका प्रोडक्शन घटेगा । इसलिये मैं चाहूंगा कि इस लेबर डिपो को आप कायम रखें और वहां से लोगों को लें ।

श्री के० डी० मालवीय : उपाध्यक्ष महोदय, कछवाय साहब ने जो बात कही मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं । लेकिन दण्ड की अवधि बढ़ा देने से अगर काम चलता तो लोगों की हत्यायें न होतीं क्योंकि उस में तो फांसी लगती है और जिन्दगी भर की सजा मिलती है तब भी डाका नहीं बन्द होता । इसलिये ऐसे क्षेत्रों में दण्ड की अवधि बढ़ा देने से कोई काम होता नहीं है । असल में बात जो आपने पहले कही कि प्रशासन में सुधार होना चाहिये, सुव्यवस्था होनी चाहिए, अव्यवस्था दूर होनी चाहिए, मैं उनसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूं और मैं आपको यह इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि अगर आप कोल माइन्स में घूमें तो देखेंगे कि तरक्की हो रही है पहले से। समय कुछ और लगेगा। दण्ड की अवधि बढ़ा भी दें तब भी आप जो चाहते हैं कि दो चार या छः महीने में सुधार हो जाएगा वह बात नहीं है । लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ट्रेड यूनियन वर्कर्स और ट्रेड यूनियन मूवमेंट की सहायता से, उन के सहकार से सरकार बहुत जल्द इस कार्य को कर लेगी और यह तीन महीने की सजा काफी है । ..... (व्यवधान) ... उन से बहुत सहयोग मिल रहा है .....

श्री हुकम चन्द कछवाय : वे वर्करों की हत्या करवाते हैं .....

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं, कोई हत्या नहीं हो रही है । हमारा उनका सब काम ठीक तरह से चल रहा है । हम उनके बड़े कृतज्ञ हैं और उनके नेताओं के कृतज्ञ हैं.. (व्यवधान) .....

मालूम नहीं कहां कौन कत्ल हुआ, मैं कत्ल की खबर ज्यादा नहीं रखता ।

शिब्बन लाल जी ने गोरखपुर डिपो की बात की । वह एक पेचीदा बात है । पुराने जमाने में जब कि राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था कोल माइन्स का तब वह एक केन्द्र था जहां से मजदूर जाते थे बिहार में, बंगाल, बिहार बोर्डर पर चले जाते थे और दूसरी जगह भी चले जाते थे । अब इस समय बेकारी तो सभी जगह फैल गई है और अगर गोरखपुर में मध्य प्रदेश के बहुत से मजदूरों को लाकर रख दें तो क्या होगा ? वहां की फर्टिलाइजर फैक्टरी में अभी मैंने कल ही पता लगाया तो मालूम हुआ कि 1800 आदमी हैं जिसमें 1711 आदमी उत्तर प्रदेश के हैं बाकी चार सौ, पांच सौ या छः सात सौ आदमी और जगह के हो सकते हैं क्योंकि वह एक राष्ट्रीय योजना है, बाहर से भी लोग आएंगे । तो बाहर से तो लोग जाएंगे और ऐसा नहीं है कि गोरखपुर के लोग नहीं गए और नहीं जाएंगे, लेकिन गोरखपुर लेबर डिपो का जो काम था वहां भर्ती होती थी और फिर वहां से लोग जाते थे जो एक पुराने जमाने की व्यवस्था थी और जिसमें मेरी राय में सुधार की आवश्यकता है । इस पर हम काफी विचार कर रहे हैं । स्वर्गीय मोहन कुमार मंगलम जी

ने भी इस पर बड़ी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का वादा किया था और हम विचार कर रहे हैं कि किस तरह से हम सामंजस्य कर सकें। दूसरे प्रदेशों की बेकारी को दूर करने का मूल जो हमारे सामने ध्येय रहे उसे तो हम करें लेकिन यहां भी क्या हो सकता है उस पर हम विचार कर रहे हैं। मैं कोई वचन तो नहीं दे सकता लेकिन इतना आश्वासन दे सकता हूं कि नई परिवर्तित अवस्था में माननीय सदस्य इसको हमदर्दी के साथ देखें और हम भी कोशिश करेंगे कि कोई मार्ग निकल सके तो निकाला जाये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16.12 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS (GUJARAT), 1974-75

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we take up the Demands for Grants in respect of the Budget for the State of Gujarat.

DEMAND No. 2—COUNCIL OF MINISTERS

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 5,56,000 on Revenue Account be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Gujarat to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975 in respect of 'Council of Ministers'."

DEMAND No. 3—ELECTIONS

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 9,62,000 on Revenue Account be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Gujarat to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975 in respect of 'Elections'."

DEMAND No. 5—GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 28,00,000 on Revenue Account be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Gujarat to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975 in respect of 'General Administration Department'."

DEMAND No. 6—PASSPORT ESTABLISHMENT

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 54,000 on Revenue Account be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Gujarat to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st, day of March, 1975 in respect of 'Passport Establishment'."

DEMAND No. 7—OTHER ADMINISTRATIVE SERVICES (GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 7,07,000 on Revenue Account be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Gujarat to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975 in respect of 'Other Administrative Services (General Administration Department)'."